235
13/10

रजिस्टर्ड/विशेष वाहक

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद-1

संख्या:23/चिकित्सा निर्देश-2014 दिनॉक:अक्टूबर, 7 2014

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
समस्त जनपद उत्तर प्रदेश।

विषय:- पुलिस कर्मियों एवं उनके आश्रितों का रू0 50,000/- तक चिकित्सा बिलों का जनपद/इकाई में अवस्थित पुलिस/पीएसी अस्पतालों में नियुक्त प्रभारी चिकित्साधिकारी से भुगतान हेतु प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि अधिसूचना संख्या:474/पॉच-6-14-1082/87टीसी दिनांक 04.03.2014 द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) (प्रथम संशोधन)2014 में प्रख्यापित नियम-19 के अनुसार रू0 50,000/- तक के चिकित्सा बिलों को सरकारी चिकित्सालयों में नियुक्त प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने का अधिकार प्रदत्त किया गया है।

2- अतएव अनुरोध है कि उक्त शासनादेश दिनांक 04.03.2014 में निहित प्रावधानों के अनुसार जनपद/इकाई में अवस्थित पुलिस/पीएसी अस्पतालों में नियुक्त प्रभारी चिकित्साधिकारी (सरकारी डाक्टर) को स्पष्ट रूप से ब्रीफ करते हुए उन्हे अवगत करा दिया जाय कि उपरोक्त शासनादेश के अनुसार रू0 50,000/- तक चिकित्सा बिलों को भुगतान हेतु प्रतिहस्ताक्षरित करें।

संलग्नक:शासनादेश की प्रतिलिपि पीछे पृष्ठ पर अंकित है।

Sul

(डा0 सूर्य कुमार) 6/10/14

अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह इसे नोटिस बोर्ड में लगाने के आदेश देने का कष्ट करें।

	झ. यदि चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत हो जाने के पश्चात उपचार नहीं प्रारम्भ होता है तो एसे अग्रिम की वापसी तीन महीनों में की जानी होगी और यदि ऐसे अग्रिम की वापसी तीन माह की अवधि के भीतर नहीं की जाती है तो दण्डात्मक ब्याज भी आरोपित किया जायेगा, जिसकी गणना चिकित्सा अग्रिम की स्वीकृति के दिनांक से की जायेगी	पूर्ववर्ती स्वीकृत अग्रिम को एक आंशिक दावा प्रस्तुत करके समायोजित किया गया है। (झ) यदि चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत हो जाने के पश्चात उपचार नहीं प्रारम्भ होता है तो एसे अग्रिम की वापसी तीन महीनों में की जानी होगी और यदि ऐसे अग्रिम की वापसी तीन माह की अवधि के भीतर नहीं की जाती है तो दण्डात्मक ब्याज भी आरोपित किया जायेगा, जो भविष्य निधि पर लागू ब्याज की सामान्य दर से 2.5 प्रतिशत अधिक होगा।

नियम–19 का संशोधन

12–उक्त नियमावली में नियम–19 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उप नियम (क) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान उप नियम	एतदद्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
(क) तकनीकी परीक्षण के लिए सक्षम अधिकारी निम्नवत् होंगे :– (एक) रू0 40000/– तक उपचारी या संदर्भकर्ता सरकारी चिकित्सालय/आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी सरकारी चिकित्सालय का प्रभारी चिकित्सा अधिकारी /अधीक्षक। (दो) रू0 40001/– से अधिक उपचारी या संदर्भकर्ता सरकारी चिकित्सालय का चिकित्सा अधीक्षक /मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी / जिला होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी या क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी। (तीन)निजी चिकित्सालयों में विशिष्ट उपचार हेतु संदर्भकर्ता संस्था के आचार्य या विभागाध्यक्ष से अन्यून श्रेणी के उपचारी चिकित्सक द्वारा जैसा नियम–13(क) में उपबन्धित है।	(क) तकनीकी परीक्षण के लिए सक्षम अधिकारी निम्नवत् होंगे :– (see table below)

स्तम्भ–2 — (क) तकनीकी परीक्षण के लिए सक्षम अधिकारी निम्नवत् होंगे :–

दावे की धनराशि	सक्षम प्राधिकारी
(एक) 50,000/– तक	उपचारी या संदर्भकर्ता सरकारी चिकित्सालय, आयुवैदिक, यूनानी और होम्योपैथी सरकारी चिकित्सालय का प्रभारी चिकित्साधिकारी/अधीक्षक
(दो) 50,001/– से अधिक	उपचारी या संदर्भकर्ता मुख्य सरकारी चिकित्सालय का मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/ चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकत्सा अधिकारी/जिला होम्योपैथी चिकित्साधिकारी या क्षेत्रीय, आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी।
(तीन)निजी चिकित्सालयों में विशिष्ट उपचार हेतु	नियम–13(क) में यथा उपबंधित संदर्भकर्ता संस्था के चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी या आचार्य या विभागाध्यक्ष से अन्यून श्रेणी के उपचारी चिकित्सक द्वारा।

नियम–20 का प्रतिस्थापन

13–उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम–20 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
उपचार हेतु प्रतिपूर्ति दावा स्वीकृत करने के लिये सक्षम प्राधिकारी निम्नवत् होंगे **(क) सरकारी सेवकों के लिये :–** रू0 1.00 लाख तक –कार्यालयाध्यक्ष रू0 1.00 लाख से अधिक व 2.50 लाख तक – विभागाध्यक्ष रू0 2.50 लाख से 5.00 लाख तक–सरकार	एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम स्वीकर्ता प्राधिकारी 20–उपचार हेतु प्रतिपूर्ति दावा स्वीकृत करने के लिये सक्षम प्राधिकारी निम्नवत् होंगे :– कार्यरत/सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के लिए:– (see table below)

दावे की धनराशि	स्वीकर्ता प्राधिकारी
रू0 2,00,000/– तक	कार्यालयाध्यक्ष
रू0 2,00,000/– से अधिक रू0 5,00,000/–	विभागाध्यक्ष